वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

पत्रांक -................../भू0अर्जन,दिनांक -....................................../

प्रेषक,

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
वैशाली ।

सेवा में,

उप-विकास आयुक्त, वैशाली।
अपर समाहर्त्ता, वैशाली।
अनुमंडल पदाधिकारी, महनार।
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, महनार।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहदेई बुजूर्ग।
अंचलाधिकारी, सहदेई बुजूर्ग।

विषय - ***प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत मौजा- वाजीतपुर चकस्तुरी, थाना नं0-529, अंचल- सहदेई बुजूर्ग सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन के क्रम में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) प्रतिवेदन का प्रकाशन करने के सम्बन्ध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि परियोजना- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सहदेई अंचल अन्तर्गत अमीरचन्द राम इब्राहिमपुर के नजदीक से श्यामपुर भरहो (वाजीतपुर डीह) रविदास टोला तक सड़क निमार्ण अन्तर्गत पड़नेवाले मौजा- वाजीतपुर चकस्तुरी, थाना नं0-529, अंचल- सहदेई बुजूर्ग के भू-अर्जन कार्रवाई हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अध्याय-II की धारा-4 के तहत् निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अधिनियम की धारा-6 के तहत् सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) अध्ययन का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्रों में किये जाने का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि प्रभावित क्षेत्रान्तर्गत अन्तर्गत पड़नेवाले सार्वजनिक स्थलों/सरकारी कार्यालयों के सूचना पट्ट पर स्थानीय लोगों के लिए सूचनार्थ एस0आई0ए0 की प्रति संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुलग्नकः- सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रति।

विश्वासभाजन

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-.....838...../भू0अ0, दिनांकः-.....27/11/21............./

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर संबंधित प्रतिवेदन को अपलोड कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
वैशाली।